इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक बी–7(ए)102/2010/2/पांच (21)   भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी सूचना, प्रौद्योगिकी सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम –– मध्य प्रदेश आबकारी सूचना, प्रौद्योगिकी सेवा भरती नियम 2011 है।

(2) ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाऐं – इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, "आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश"।

सिस्टम एनालिस्ट कम डटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मैनेजर तथा नेटवर्क मैनेजर की दशा में "राज्य सरकार"।

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन संचालित भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा।

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ।

(ड़) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ।

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84 दिनांक 26 दिसम्बर–1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ।

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग, उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ।

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आबकारी सूचना, प्रौद्योगिकी सेवा ।

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति।

3. **विस्तार तथा लागू होना** —— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम, अनुसूची–एक में यथा उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** —— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** —— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका —

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी :

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसा तरीका अपना सकेगा, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा की जाएगीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** – लिखित परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् –

(1) (क)–आयु –(एक) अभ्यर्थी ने प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(दो) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयुसीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(तीन) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, अर्थात् :–

(क) ऐसे अभ्यर्थी, जो स्थाई/अस्थाई सरकारी सेवक है, 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि, एक से

अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किन्हीं संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक की कालावधि तक निरन्तर रहा था, तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में हो, और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरन्तर कालावधि तक निरन्तर नियोजन में रहा था, तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई के सिफारिशों के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों के अधीन सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जो :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण होने पर,

(ख) नामांकन संबंधी निर्बधन तथा शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक ;

(4) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(पांच) विधवा/तलाकशुदा तथा परित्यक्त महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट उच्चतर आयु संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

(छह) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्डधारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयुसीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(सात) आदिम जाति, कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन किसी दंपत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(आठ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के मामले में सामान्य उच्चतर आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(नौ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(दस) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई सेवा के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्ययधीन रते हुए छूट दी जावेगी, परंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

टिप्पणी –

वे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त नियम 8 (ग) के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए प्रवेशित हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे । अन्य किसी मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जावेगीं। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(ख) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थियों के पास सेवा के लिए अनुसूची–तीन में दर्शायी गई विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

(ग) **फीस**– अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी, के द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता ––

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई, न्यूनतम आयु पूर्ण करने से पूर्व विवाह किया हो, सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है तो किसी सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा।

(4) कोई भी उम्मीद्वार, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी दुर्व्यवहार या किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ;

परंतु अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय होने तक स्थगित रखा जाएगा।

10. **नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय** -- परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में या अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा तथा किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **लिखित परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती** ––

(1) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा/चयन परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार लिखित परीक्षा/चयन संचालित किया जाएगा, जो कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाऐं।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाऐंगे।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाऐंगे।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम मे किया जाएगा जिसमे कि उनके नाम नियम–12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रेंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994(क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) (1) जब सीधी भर्ती द्वारा पद को भरने के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो, और नियुक्ति प्राधिकारी/आयुक्त की राय में यह पाया जाए कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी/आयुक्त, सरकार से परामर्श के पश्चात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(2) सेवा मे सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतर से किया जायेगा जो कि राज्य सरकार आयोग के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित करे।

(8) सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्याथियों के लिए पद आरक्षित रखे जाऐंगें।

12. चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना ––

(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें, योग्यता के क्रम में तैयार की गयी सूची, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गए हैं, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। ऐसी सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा,जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

13. **परिवीक्षा** ––सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **निर्वचन** – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

15. **शिथिलीकरण** – इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं,राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उन्हें उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है ;

परन्तु कोई मामला ऐसी किसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

16. **व्यावृत्ति** –– इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस सबंध में समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

17. **निरसन**–– इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
1	सिस्टम एनालिस्ट–कम–डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	15600–39100 +ग्रेड पे 5400
2	सिस्टम मैनेजर	01	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	15600–39100 +ग्रेड पे 5400
3	नेटवर्क मैनेजर	01	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	15600–39100 +ग्रेड पे 5400
4	सहायक प्रोग्रामर	03	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–तीन	9300–34800+ग्रेड पे 3600
5	आई.टी.ऑपरेटर	89	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–तीन	5200–20200+ग्रेड पे 2400

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु–क्रमांक	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती हेतु चयन समिति
1	2	3	4	5	6
1	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	सिस्टम एनालिस्ट–कम–डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
2	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	सिस्टम मैनेजर	01	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
3	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–दो	नेटवर्क मैनेजर	01	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
4	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–तीन	सहायक प्रोग्रामर	03	100 प्रतिशत	1. अपर आबकारी आयुक्त – अध्यक्ष 2.आबकारी उपायुक्त–सदस्य सचिव 3.आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट दो तकनीकी विशेषज्ञ–सदस्य 4. यदि ऊपर उल्लिखित समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व न हो तो आबकारी आयुक्त इस जाति का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट करेगा–सदस्य
5	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी–तीन	आई.टी.ऑपरेटर	89	100 प्रतिशत	व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा या चयन के लिए किसी अन्य प्रक्रिया

अनुसूची—तीन

(नियम 6 देखिए)

अनु—क्रमांक	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी—दो	सिस्टम एनालिस्ट—कम—डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित बीई/बीटेक/एमसीए या औसत 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी के साथ सिस्टम एनालिस्ट—कम—डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में कम से कम एक वर्ष का अनुभव
2	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी—दो	सिस्टम मैनेजर	21 वर्ष	35 वर्ष	कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित बीई/बीटेक/एमसीए या औसत 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी के साथ सिस्टम मैनेजर में कम से कम एक वर्ष का अनुभव
3	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी—दो	नेटवर्क मैनेजर	21 वर्ष	35 वर्ष	कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित बीई/बीटेक/एमसीए या औसत 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी के साथ नेटवर्क मैनेजर में कम से कम एक वर्ष का अनुभव
4	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी—तीन	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	बीसीए या कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कम से कम एक वर्ष का अनुभव सहित सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर साइंस में तीन वर्षीय डिप्लोमा
5	मध्यप्रदेश आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा श्रेणी—तीन	आई.टी.ऑपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में तीन वर्षीय डिप्लोमा (डीसीए) सहित (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्धति) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक

					वर्षीय डिप्लोमा सहित (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्धति) से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा राज्य/केन्द्रीय संगठनों में नेटवर्किंग तथा इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर सिस्टम में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव

टिप्पणी — सभी उपाधियां/डिप्लोमा शासकीय मान्यता प्राप्त एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों से प्राप्त की होना चाहिए। सभी कैडर/पदों के लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. बी-7(ए) 102-2010-2-पांच (21).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7(ए) 102-2010-2-पांच (21), दिनांक 18 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

No. B-7(A) 102/2010/2/5(21) Bhopal, dated 18 July, 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of the service to the members of the Madhya Pradesh Excise Information Technology Service , namely :-

RULES

1. **Short title and Commencement.- (1)** These rules may be called the Madhya Pradesh Excise Information Technology Service Recruitment Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the"Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, :-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Excise Commissioner Madhya Pradesh. State Government in case of System Analyst cum Data Base Administrator, System Manager and Network Manager;
(b) "Commission" means Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Examination" means the competitive examination for recruitment conducted under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time;

(g) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(h) "Schedule Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Schedule Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or, tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(k) "Service" means the Madhya Pradesh, Excise Information Technology Service;

(l) "Selection committee" means the selection committee constituted for direct recruitment by the Appointing Authority.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule-I.

4. **Constitution of Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules, are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of Pay etc.-** The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions, Specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by direct recruitment, through competitive examination;

(2) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be

recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, appointing authority may with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as the State Government may by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority by adopting any methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible to compete for the written examination / selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age.-** (i) The candidate must have attained the age of 21 years as specified in column (4) of Schedule (III) and must not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of examination.

(ii) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if the candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(iii) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are, or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(a) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant shall not be more than 40 years of age. This concession shall also be admissible to the Work Charged Contingency paid employees.

(b) A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.- The term "Retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged due to reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(c) A candidate, who is an ex-service man shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously so rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.- The term "Ex- serviceman" denotes a person who belong to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :--

(1) Ex-serviceman released under mustering out concession;
(2) Such Ex-service man enrolled for the second time, and

(a) On completion of short term engagement.
(b) On Full filling the terms & Conditions of enrollment.

(3) Ex-serviceman of Madras Civil Unit;
(4) Such Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(5) Such Ex-serviceman who have been discharged from the service due to invalidity;
(6) Such Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(7) Such Ex-serviceman who have been discharged from the service on account of gun shot, wounds etc.

(iv) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of Ten years to the woman candidates in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
(v) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of widow / divorcee's and destitute women candidates. This relaxation shall be in addtion to the other relaxation relating to the upper age limit.
(vi) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of those candidates who are green card holders under the family welfare programme.
(vii) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme of the Tribal Welfare Department.
(viii) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of "Vikram Award" candidates.
(ix) The upper age limit shall be relaxable upto 40 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
(x) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and noncommissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case their age should exceed 40 years.

Note.-
Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub clause (a), (b) and (c) of clause (iii) of rule 8(a) shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from the service either before or after taking the

examination. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain the prior permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) **Educational Qualification:-** The candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in schedule III

(3) **Fees:-** The candidates shall pay the fees prescribed by appointing authority.

9. **Disqualification.-**

(1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.

(2) As per the provisions of Rule 5 of Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rule 1961 any candidate who has married before attaining the minimum age fixed for the marriage shall not be eligible for the service or post.

(3) A candidate who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be considerd for appointment to the service :

Provided that a candidate who had one living child and the second one was born on 26th January, 2001 or there after (including birth of twins or more) shall not be disqualified for the appointment to the service.

(4) A person who has been convicted for any ill treatment or a Criminal offence against women, shall not be eligible for appointment on any post.

Provided that pending the appeal his appointment shall be kept in abeyance till the final decision of the Court.

10. **Decision of the Appointing Authority.-** The decision of the appointing authority regarding eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate shall be allowed for examination / selection to whom an admission card has not been issued by the appointing authority.

11. **Direct recruitment by written examination/selection.-** (1) A written examination/selection to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may determine after consultation with the Government from time to time.

(2) The written examination / selection shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders as the Government may issue from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Schedule Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) Posts shall be reserved for women candidates under the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment in service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, as the case may be, under the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994)

(7) (1) When certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the post by direct recruitment and in the opinion of the appointing authority / Commission the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority / Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes and Schedule Tribes Candidates.

(2) Selection to the service for direct recruitment shall be made at such intervals as the Government may, after the consultation with the Commission, determine from time to time.

(8) Posts shall be reserved for the Physically Handicapped Candidates as per the instructions of the Government in the General Administration Department.

12. **Preparation of list of selected candidates.-** (1) The Selection Committee shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Appointing Authority may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. and shall forward it to the appointing authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment for the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointment authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) The select list shall be valid for period of one year from the date of issue.

13. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14 **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final .

15 **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16 **Saving.-** Nothing in these rules, shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

17 **Repeal.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE – I

(See Rule 6)

Classification, pay scale in service & No. of posts included in service

S.No	Name of posts included in service	No. of Posts	Classification	Pay Scales Rs.
1	2	3	4	5
1	System Analyst com Data Base Administrator	01	M.P.Excise Service Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400
2	System Manager	01	M.P.Excise Service Class-II	15600-39100+ Grade Pay 5400
3	Network Manager	01	M.P.Excise Service Class-II	15600-39100+ Grade Pay 5400
4	Assistant Programmer	03	M.P.Excise Service Class-III	9300-34800+ Grade Pay 3600
5	I.T. Operator	89	M.P.Excise Service Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2400

SCHEDULE – II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S.no	Name of Service	Name of Post in Service	No. of Total Posts	Percent of post to be filed by direct Recruitment	Committee for the Direct Recruitment	
1	2	3	4	5	6	
1	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	System Analyst cum Data Base Administrator	01	100 %	Madhya Pradesh Public Service Commission	
2	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	System Manager	01	100 %	Madhya Pradesh Public Service Commission	
3	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	Network Manager	01	100 %	Madhya Pradesh Public Service Commission	
4	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	Assistant Programmer	03	100 %	1. Additional Excise Commissioner	Chairman
					2. Deputy Excise Commissioner	Member Secretary
					3. Two Technical specialist as	Member

					nominated by Excise Commissioner	
					4. If in the above mentioned committee, there is no representation of Schedule Caste/ Schedule Tribe, the Excise Commissioner will nominate a member belonging to this caste.	Member
Excise Department	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	I.T. Operator	89	100 %	By Madhya Pradesh Vyavasaik Pariksha Mandal or any other precedure for selection	

SCHEDULE – III
(See Rule 6)

S.no	Name of Service	Name of Post in Service	Minimum Age	Maximum Age	Educational Qualification
1	2	3	4	5	6
1	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	System Analyst cum Data Base Administrator	21 years	35 years	BE /B.Tech./MCA in Computer Science/Computer Applications/Information Technology with first division or minimum aggregate marks 60% or equivalent grade, along with minimum one year experience in System Analysis and Database Administration.
2	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	System Manager	21 years	35 years	BE /B.Tech./MCA in Computer Science/Computer Applications/Information Technology/ with first division or minimum aggregate marks 60% or equivalent grade, along with minimum one year experience in System Manager.
3	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	Network Manager	21 years	35 years	BE /B.Tech./MCA in Computer Science/Computer Applications/Information Technology/ with first division or minimum aggregate marks 60% or equivalent grade, along with minimum one year experience in Network Management.
4	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	Assistant Programmer	21 years	35 years	BCA Or 3 year Diploma in Information Technology / Computer Application / Computer Science with minimum one year experience in Computer Programming.
5	Madhya Pradesh Excise Information Technology Service	I.T. Operator	21 years	35 years	Must have passed Higher Secondary School Certificate Examination in (10+2) pattern or Higher Secondary Examination (Old Pattern) with three years diploma in Computer Application (DCA) . OR Must have passed Higher Secondary Certificate Examination in (10+2) pattern or Higher Secondary Examination (Old Pattern) with one years diploma in Computer Application and minimum three years working experience in networking and integrated computer system done in State/Central Government Organisations.

Note.—All the Degree/Diploma must be obtained from the Government recognized AICTE approved institutions. The knowledge of Computer programming is essential for all cadre/Posts.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Add. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.